

DRAFT INDIAN TELECOMMUNICATION BILL, 2022

The Department of Telecommunications has proposed to dilute the powers and responsibilities of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) in the proposed draft, Indian Telecommunication Bill, 2022.

Key Points

About Draft, Indian Telecommunication Bill, 2022

- **Consolidation:** The draft Bill consolidates three separate acts which currently govern the telecommunication sector:
 - o The Indian Telegraph Act, 1885
 - o Indian Wireless Telegraphy Act, 1933
 - o The Telegraph Wires (Unlawful Protection) Act, 1950

• Expansion of Telecom Services:

- In the draft Bill, the government has included internet-based and Over-the-Top (OTT) communication services such as WhatsApp calls, Facetime, Google Meet etc. under telecom services.
 - At present, while telecom companies need a licence to offer services, OTT platforms do not.
 - Bringing OTTs under the ambit of telecom services means that OTT and internet-based communications would require a licence to offer services.

- **Exemption:** The DoT could exempt entities from the requirement of obtaining a licence if it is in the **"public interest".**
- Information Interception: Information transmitted over telecommunication services could be intercepted by the government in the interest of the sovereignty of the country.
- It proposes to take away TRAI powers of recommendation to the government while issuing licenses to service providers.
- **Check on Predatory Pricing:** TRAI may direct operators "to abstain from predatory pricing" that is harmful to the overall health of the telecom sector.
- **Appointing Official:** A current provision in the TRAI Act which prohibits the appointment of a government official as TRAI's chairperson who has not served either as Secretary or Additional Secretary has also been proposed to be removed in the new draft Bill.
- Telecommunication Development
 Fund (TDF): It also proposes to replace the Universal Service
 Obligation Fund (USOF) with the Telecommunication Development
 Fund (TDF)



Telecommunication Development Fund:

• It aimed to boost connectivity in underserved urban areas, R&D, and skill development.

Over-the-Top (OTT) Platform:

- OTT, refers to any type of streaming media content delivered over the Internet.
- It includes subscription-based streaming services where consumers can access content on-demand without having to go through a traditional satellite or cable provider.
- Some **popular examples** of these include messaging platforms like **Whatsapp, Telegram, Signal, Messenger, Duo, Google Meet** etc.





भारतीय दूरसंचार विधेयक प्रस्ताव, २०२२

दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विभाग के प्रस्तावित मसौदे में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India - TRAI)की शक्ति और जिम्मेदारियों को कम करने का प्रस्ताव किया है।

प्रमुख बिंदु मसौदा, भारतीय दूरसंचार विधेयक, २०२२

- समेकन: प्रस्तावित विधेयक तीन अलग-अलग अधिनियमों को समेकित करता है जो वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं:
 - o भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५
 - o भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, १९३३
 - o टेलीग्राफ वायर्स (गैरकानूनी संरक्षण) अधिनियम, 1950
- दूरसंचार सेवाओं का विस्तार:
 - विधेयक के मसौदे में, सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के तहत इंटरनेट आधारित और) ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं जैसे व्हाट्सएप कॉल, फेसटाइम, गूगल मीट आदि को शामिल किया है।
 - फिलहाल जहां टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं देने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म को उसकी आवश्यकता नहीं होती।
 - ओटीटी को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाने का मतलब है कि ओटीटी और इंटरनेट आधारित संचार के लिए सेवाओं पेश करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

- छूट: DoT,संस्थाओं को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दे सकता है यदि यह "सार्वजनिक हित" में है।
- सूचना अवरोधनः देश की संप्रभुता के
 हित में सरकार द्वारा दूरसंचार सेवाओं
 पर प्रेषित सूचना को इंटरसेप्ट किया
 जा सकता है।
- यह सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी करते समय सरकार को ट्राई की सिफारिश की शक्तियों को छीनने का प्रस्ताव करता है।
- मूल्य निर्धारण की जाँच: ट्राई, ऑपरेटरों को "भड़काऊ मूल्य निर्धारण से दूर रहने" का निर्देश दे सकता है जो दूरसंचार क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
- अधिकारी की नियुक्तिः ट्राई अधिनियम में एक मौजूदा प्रावधान के अंतर्गत ट्राई के अध्यक्ष के रूप में ऐसे सरकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती, जिसने सचिव या अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है।नए विधेयक के मसौदे में इस नियम को भी हटाने का प्रस्ताव किया गया है।
- दूरसंचार विकास कोष (TDF): यह सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (USOF) को दूरसंचार विकास कोष (TDF) से बदलने का भी प्रस्ताव करता है।



दूरसंचार विकास कोष:

• इसका उद्देश्य कम सेवा वाले शहरी क्षेत्रों, अनुसंधान एवं विकास, और कौशल विकास में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म:

- ओटीटी, इंटरनेट पर वितरित किसी भी प्रकार की स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री को संदर्भित करता है।
- इसमें सदस्यता-आधारित स्ट्रीमिंग सेवाएं शामिल हैं जहां उपभोक्ता पारंपरिक उपग्रह या केबल प्रदाता के बिना ऑन-डिमांड सामग्री तक पहुंच सकते हैं।

